

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनउ।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनउ: दिनांक: 01 फरवरी, 2019

विषय:- श्री राम नारायण सिंह धामा, पी0सी0एस0, से0नि0 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री राम नारायण सिंह धामा, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-01-2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राम नारायण सिंह धामा के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन राशिकरण, उपादान प्रपत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त ।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री राम नारायण सिंह धामा, पी0सी0एस0, से0नि0 पता-ए-133 डिफेन्स कालोनी, मवाना रोड मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-11/2019/320/दो-2-2018-28/2(3)/2019
लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राम नारायण सिंह धामा, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-01-2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- श्री राम नारायण सिंह धामा, पी0सी0एस0, से0नि0 पता-ए-133 डिफेन्स कालोनी, मवाना रोड मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-11/2019/321 /दो-2-2019-28/2(3)/2019
लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 2019

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
30प्र0 शासन।

श्री राम नारायण सिंह धामा, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-01-2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री राम नारायण सिंह धामा, पी0सी0एस0,से0नि0 पता-ए-133 डिफेन्स कालोनी,
मवाना रोड मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-11/2019/322 /दो-2-2019-28/2(3)/2019
लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 2019

आदेश

श्री राम नारायण सिंह धामा, पी0सी0एस0 ने अपने भविष्य निधि खाता संख्या-आर0वी0यू0-36373 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री राम नारायण सिंह धामा, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-15/मिलान डायरी-279/65421, दिनांक 28-09-2017 के अनुसार वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-28 02,591/- (रू0-अटठाइस लाख दो हजार पाँच सौ इक्यानवे मात्र) की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-25,22,331/-(रूपये पच्चीस लाख बाइस हजार तीन सौ इक्कतीस मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री राम नारायण सिंह धामा के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री राम नारायण सिंह धामा, पी0सी0एस0, तत्कालीन अपर आयुक्त, मेरठ, मण्डल मेरठ सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चि कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 4- श्री राम नारायण सिंह धामा, पी0सी0एस0, से0नि0, पता-ए-133 डिफेन्स कालोनी, मवाना रोड मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान के पश्चात अंतिम अवशेष 10 प्रतिशत भुगतान के संबंध में, 90 प्रतिशत आदेश की प्रति, 90 प्रतिशत भुगतान का बाउचर संख्या व दिनांक तथा मूल पासबुक अदयतन सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।